अमर उजाला | राजधानी | amarujala.com

क्रिटिकल क्षेत्रों में व्यावसायिक बोरिंग पर होगी एक वर्ष तक सजा

भू-गर्भ जल विभाग तैयार करा रहा नियमावली, एक अप्रैल से लागू होंगे नए नियम

अमर उजाला ब्यूरो

लखनऊ। क्रिटिकल और अति दोहित विकास खंडों में व्यावसायिक उपयोग के लिए बोरिंग करने पर छह महीने से लेकर एक साल तक की सजा होगी। इतना ही नहीं 1 लाख से 5 लाख रुपये तक का जुर्माना भी लगेगा। दोबारा पकड़े जाने पर 2 से 10 लाख रुपये का जुर्माना और 1 से 2 साल तक की सजा होगी। इसके लिए भू-गर्भ विभाग की ओर से तैयार नियमावली को परीक्षण के लिए विधायी विभाग को भेजा गया है। राज्य सरकार इसे एक अप्रैल से लागू करने की योजना बना रही है।

पिछले 10 वर्षों में ग्रामीण क्षेत्रों के 718 विकास खंडों में भूजल स्तर गिरा है। कुल 820 विकास खंडों में से 82 अतिदोहित, 47 क्रिटिकल और 151 सेमी क्रिटिकल श्रेणी में हैं। सेमी क्रिटिकल का मतलब है कि ये विकास खंड भी भूगर्भ जल स्तर के लिहाज से खतरे की ओर बढ़ रहे हैं। इससे निपटने के लिए उत्तर प्रदेश भूजल (प्रबंधन एवं नियमन) एक्ट-2019 को दो अक्तूबर से लागू कर दिया है। इसके आधार पर एक नियमावली भी तैयार होनी है। इसमें ही भूजल

एक से पांच लाख रुपये तक के जुर्माने का भी प्रावधान

उपयोग के नियम कायदे होंगे। उनके पालन और उल्लंघन पर सजा का ब्योरा होगा।

प्रस्तावित नियमावली में अतिदोहित और क्रिटिकल श्रेणी के विकास खंडों में औद्योगिक, व्यावसायिक और बल्कि (अधिक मात्रा) में पानी के उपयोग के लिए बोरिंग पर प्रतिबंध होगा। अलबत्ता कृषि व घरेलू उपयोग को इस प्रतिबंध से बाहर रखा गया है। यहां बता दें कि अभी भी अतिदोहित व क्रिटिकल श्रेणी के विकास खंडों में सरकारी योजनाओं के तहत बोरिंग पर प्रतिबंध है। वहीं मौजूदा नियमों के तहत निजी क्षेत्र के बोरिंग करने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। नई नियमावली में निजी क्षेत्र में इन प्रतिबंधों को कड़ाई से लागू करने के लिए सजा और भारी जुर्माने का प्रावधान किया जा रहा है।

फैसले से असहमत होने पर प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट के यहां करनी होगी अपील

प्रस्तावित नियमावली में भूजल स्तर पर नजर रखने और दोषियों पर कार्रवाई के लिहाज से ग्राम पंचायत से लेकर शासन स्तर तक इकाइयां गठित होंगी। प्रत्येक ग्राम पंचायत में प्रधान की अध्यक्षता में एक ग्राम पंचायत भूगर्भ जल उप समिति का गठन किया जाएगा। इसी तरह ब्लॉक प्रमुख की अध्यक्षता में खंड पंचायत भूगर्भ जल प्रबंधन समिति, नगर प्रमुख और नगर पालिका प्रमुख की अध्यक्षता में नगर पालिका जल प्रबंधन समिति बनेंगी। डीएम की अध्यक्षता में जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद और राज्यस्तर पर यूपी राज्य भू-गर्भ जल प्रबंधन और नियामक प्राधिकरण बनेगा। नियमों के उल्लंघन पर जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद दंड का फैसला करेगी। उसके खिलाफ राज्यस्तरीय प्राधिकरण में अपील की सुविधा होगी। राज्य प्राधिकरण के फैसले से असहमत होने पर प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट के यहां अपील हो सकेगी।